

नंबर
अधिकारी

पालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

21/1/2022

लालकृष्ण

बनाम

तारीख रजु.....
अतरसिंह वगेरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.01.2021	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं० 126, 132, 152, वाके ग्राम हनीपुर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयांत अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 21.01.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि० डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 21.01.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	<p>21/1/22</p> <p>उपस्थान्त साथिक आदेश दिनांक 21-1-22 की पालना में पत्रावली वास्ते दिनांक 21/1/2022 को पेश हो।</p> <p>21/1/22 275 14.3.22</p>

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अलवर जिला अलवर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

22/3/22 सुभाष चॅरोकेन एच०/पी०
 बाह्य ~~.....~~
 आवासीय दिनांक 27/3/22
 को भेज दो।

25/2/22 सुभाष चॅरोकेन एच०/पी०
 बाह्य ~~.....~~
 आवासीय दिनांक 6/5/22
 को भेज दो।

6/5/22 सुभाष चॅरोकेन एच०/पी०
 बाह्य ~~.....~~
 आवासीय दिनांक 9/6/22
 को भेज दो।

5/6/22 सुभाष चॅरोकेन एच०/पी०
 बाह्य ~~.....~~
 आवासीय दिनांक 16/8/22
 को भेज दो।

16-8-22 सुभाष चॅरोकेन एच०/पी०
 बाह्य ~~.....~~
 आवासीय दिनांक 11/10/22
 को भेज दो।

11/10/22

कायदा काज सुलवादे के साथ फॉर्म 8 का प्रती
 कापी जारी उपलब्ध नहीं आये। अर्थात् व अंत
 जारी को बाल-2 कागज दिखाई गये।
 कोई उपाय नहीं आया। आगे का प्रस्ताव प्रती
 प्रती के दफ्तर्पोषी - अर्थात् एजरी में प्रारिज किया
 जाता है कायदा प्रॉसेस थ्रू आर्टिकल सुलवादे के साथ प्रती

सुभाष चॅरोकेन
 कर्मचारी (अलमदार)